भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के
विद्यार्थियों हेतु

अगस्त 2024
श्रावण 1946

PD 1H M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2024

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

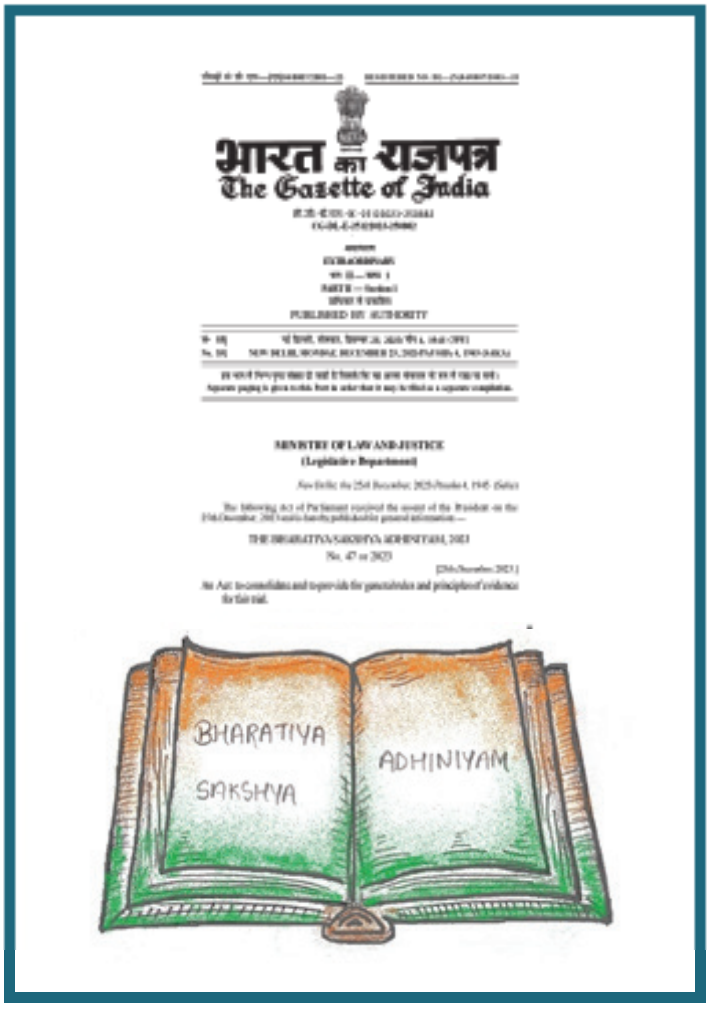

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के
विद्यार्थियों हेतु

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

पारदर्शिता का सुदृढ़ीकरण

आपने धोखाधड़ी, लूटपाट, राहजनी और विभिन्न मामलों के विवरण सुने होंगे, जिन्हें हल कर लिया गया। क्या आप जानते हैं कि किस चीज से उन्हें हल करने में सहायता मिली? कैसे साक्ष्य जुटाए गए? कैसे उन्हें चोरी या डाके की घटनाओं के विभिन्न पक्षों से जोड़कर देखा गया? आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथा इसके विभिन्न प्रावधानों और तथ्यों से परिचित होंगे। उससे आपको यह समझने में सहायता मिलेगी, कि किस चीज को 'साक्ष्य' कहते हैं। आइए, डिजिटल युग में हम इसे जाने और जिम्मेदार व्यवहार करें।

अधिगम (सीखने) का उद्देश्य

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और उनकी मुख्य विशेषताओं को समझना।
- साक्ष्य विधि की मूल बातों सहित साक्ष्यों के प्रकार, जैसे– प्रत्यक्ष, पारिस्थितिक साक्ष्य और अनुश्रुत (सुनी हुई बात जो स्वयं न देखी हो) को समझना।
- यह जानना कि तकनीकी ज्ञान (प्रौद्योगिकी) साक्ष्य संग्रह, संरक्षण और एक विधिक व्यवस्था में प्रस्तुत करने पर किस प्रकार प्रभाव डालता है।
- मामलों के विश्लेषण के लिए साक्ष्य विधिक ज्ञान के अनुप्रयोग का अभ्यास और साक्ष्य की ग्राह्यता (स्वीकार्यता) का आकलन करना।
- जब पाठक एक ऐसी स्थिति जहाँ वे किसी अपराध के साक्षी अथवा पीड़ित हैं, तब इस मॉड्यूल का ज्ञान उनके केस पक्ष को पुष्ट करने एवं मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

भारत में साक्ष्य विधि का विकास

अंग्रेज़ी पद *एविडेंस* (साक्ष्य) लैटिन भाषा के शब्द *एविडेंस* या *एविडेयर* से आया है, जिसका अर्थ है— स्पष्ट रूप से दर्शाना, देखने के लिए स्पष्ट करना, स्पष्ट रूप से खोजना, स्पष्ट रूप से निश्चित करना, सिद्ध करना।

ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट (आई.ई.ए.) मूल रूप से न्यायालयों के समक्ष लाए गए मामलों में साक्ष्य से संबंधित विधियाँ प्रदान करने तथा इनके तथ्यों को सिद्ध करने में सहायता देने एवं उक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय का आदेश सुनाने के लिए पारित किया गया था। यह 'विशेषण विधि' की श्रेणी में आता है और इसमें वे अभिवचन तथा विधियाँ परिभाषित की गई हैं, जिनके माध्यम से मूलभूत तथा प्रक्रियागत विधियाँ प्रचालित की जाती हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल और आपराधिक दोनों तरह की प्रक्रियाओं को शासित किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 'साक्ष्य' का अर्थ है और इसमें सम्मिलित हैं—

- सभी कथनों सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन जाँच के अधीन लाए गए मामलों के संदर्भ में न्यायालय को, जिनकी गवाहों द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति या आवश्यकता होती है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं।
- सभी दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।

दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषाएँ व्यापक हो गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख सम्मिलित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में किसी भी वस्तु को अब दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा तथा साक्ष्य माना जाएगा। साक्ष्य की परिभाषा से न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्षियों (गवाह) की जाँच का अधिकार मिलता है।

चित्र 1— हमें साक्ष्य विधि की आवश्यकता क्यों है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का लक्ष्य निष्पक्ष विचारण (ट्रायल) के साक्ष्य के लिए सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करना और प्रदान करना है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रगतिशील प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे– इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को सम्मिलित करने के लिए परिभाषा का विस्तार, प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाने का प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य आदि को संभालने के लिए प्रमाणपत्र का प्रावधान आदि। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएँ हैं, जबकि पूर्व के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 धाराएँ थीं।

औचित्य

साक्ष्य विधि हमारी विधिक प्रणाली का एक मूल भाग है, जो प्राथमिक रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई अभियोजित व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। इसमें इसे निर्धारित करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं, कि इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। यहाँ अनेक कारण बताए गए हैं कि साक्ष्य विधि क्यों अनिवार्य है—

- **विधिक कार्यवाहियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना**— साक्ष्य विधि में सुनिश्चित होता है कि किसी विधिक विवाद में दोनों पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने का निष्पक्ष अवसर मिलता है। साक्ष्य के रूप में किसे उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में स्पष्ट नियम बनाने से एक विचारण (ट्रायल) के परिणामों के पक्षपातपूर्ण होने या असंगत जानकारी से प्रभावित होने की रोकथाम की जाती है।
- **व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा**— साक्ष्य विधि से उन मानकों की स्थापना द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है कि साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त और प्रस्तुत किया जाए, उदाहरण के लिए— इसमें बलपूर्वक या अवैध साधनों के माध्यम से साक्ष्य के

उपयोग को प्रतिबंधित करना, यह सुनिश्चित करना कि विधिक प्रक्रिया में सभी पक्षकारों के अधिकार सम्मिलित हैं।

- **विश्वसनीयता और सटीकता को प्रोत्साहन**— इस आवश्यकता द्वारा संगत, अभिप्रमाणित और विधिक तरीके से साक्ष्य प्राप्त किए जाने से साक्ष्य विधि को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जानकारी की विश्वसनीयता और सटीकता को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भरोसेमंद और सत्यापन योग्य तथ्यों के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- **न्यायिक प्रणाली की दक्षता में वृद्धि**— साक्ष्यों के स्पष्ट नियमों से न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती है, जिसमें यह तय होता है कि क्या स्वीकार्य (ग्राह्य) है और क्या नहीं। इससे अनावश्यक विलंब नहीं होता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि विचारण (ट्रायल) क्रमिक और दक्षतापूर्वक किया जाता है।
- **प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन**— विधिक कार्रवाइयों में कई बार प्रतिस्पर्धी हित आड़े आ जाते हैं। साक्ष्य विधि द्वारा इन हितों में संतुलन के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि अभियुक्त के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और साथ ही अभियोजन पक्ष को बाध्यतापूर्ण तरीके से मामला प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह संतुलन अति महत्वपूर्ण है।
- **प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाना**— जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है, उसके साथ ही साक्ष्य के प्रकार का स्वरूप भी आगे बढ़ता है। साक्ष्य विधि को इस प्रकार बनाया जाए कि नए प्रकार के साक्ष्यों, जैसे– इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संचारों के लिए नियम शामिल करने से हुए बदलावों को अपनाया जा सके। इस अनुकूलन से यह सुनिश्चित होता है कि न्याय प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिक रूपों को प्रभावी तरीके से संभाला जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की विशेष बातें

- इसमें प्रावधान दिया गया है कि साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञों और पीड़ितों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जिसका विधिक प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी अन्य दस्तावेज के समान ही होती है।
- इसका उद्देश्य माध्यमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना है।

- इसका उद्देश्य न्यायालयों में स्वीकार्य तथ्यों और उनके प्रमाणीकरण पर सीमाएँ लगाना है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में औपनिवेशिक काल के शब्दों, जैसे कि 'यूनाइटेड किंगडम की संसद', 'प्रांतीय अधिनियम', 'लंदन गजट', 'कॉमनवेल्थ', 'प्रिवी काउंसिल', 'क्वीन्स प्रिंटर', 'हर मेजेस्टी', औपनिवेशिक उद्घोषणाएँ और आदेश हटा दिए गए हैं। 'वकील', 'प्लीडर', 'बैरिस्टर' जैसे पुराने शब्दों की जगह 'एडवोकेट' रखा गया है। 'पागल (ल्यूनेटिक)' जैसे शब्दों की जगह 'अस्वस्थ व्यक्ति' जैसे अधिक संवेदनशील शब्द इस्तेमाल किए गए हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वर्गीकरण

1. तथ्यों की सार्थकता
   धारा 3–50
2. तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्कता नही है
   धारा 51–103
3. साक्ष्य उत्पादन और प्रभाव
   धारा 140–170

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- **साक्ष्य प्रक्रमण में प्रौद्योगिकी और डिजिटल साधनों का उपयोग**— 'दस्तावेजों' की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर रखे गए वॉयस मेल संदेशों पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 'साक्ष्य' की परिभाषा का विस्तार करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई भी जानकारी शामिल की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों के हाजिर होने में सक्षम बनाएगी।

क्या आप जानते हैं कि कुछ संप्रेषण को विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण माना जाता है और उन्हें अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है? उदाहरण के लिए— एक वकील और उनके मुवक्किल के बीच या पति-पत्नी के बीच संप्रेषण को संरक्षित किया जाता है। इससे संवेदनशील रिश्तों में गोपनीयता और विश्वास सुनिश्चित किया जाता है।

- **प्राथमिक साक्ष्य**— प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निर्मित या संगृहीत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, उचित अभिरक्षा से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ संगृहीत और किसी अन्य को प्रेषित या प्रसारित वीडियो रिकॉर्डिंग; तथा कंप्यूटर संसाधन में एकाधिक भंडारण स्थानों में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है।

प्राथमिक साक्ष्य सर्वोच्च गुणवत्तापरक साक्ष्य है और इसे सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। यह जाँच के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज या सामग्री को संदर्भित करता है। इस प्रकार का साक्ष्य बिना किसी मध्यस्थ के सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण— किसी व्यवसाय में दो पक्षों के बीच हस्ताक्षरित मूल संविदा प्राथमिक साक्ष्य है।

- **द्वितीयक साक्ष्य**— द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को बढ़ाकर इसमें मूल प्रति से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियाँ, मूल से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियाँ, उन पक्षों के प्रति दस्तावेजों के प्रतिरूप, जिन्हें निष्पादित नहीं किया गया है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की विषय-वस्तु के मौखिक विवरण भी शामिल किए गए हैं, जिसने इसे स्वयं देखा है। जब दस्तावेज की वास्तविकता संदिग्ध हो तो इसमें मौखिक स्वीकृति भी शामिल होगी। इसके अलावा, द्वितीयक

जैसा कि नाम से पता चलता है, द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है, जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। इसमें मूल दस्तावेजों या सामग्रियों की प्रतियाँ या प्रतिस्थापित प्रतियाँ शामिल हैं। जब प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय में विशिष्ट परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है। उदाहरण— मूल संविदा की एक फोटोकॉपी, जब मूल दस्तावेज खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य विचार में लिया जाता है।

साक्ष्य तब दिया जा सकता है, जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु को लिखित रूप में स्वीकार किया जाता है।

कोई साक्ष्य तभी स्वीकार्य होता है, जब उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना उचित समझा जाता है।

- **इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता**— इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए एक नई धारा को जोड़ा गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड**— इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विषय-वस्तु को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए अनुसूची में एक प्रमाणपत्र जोड़ा गया है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि कंप्यूटर का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिसका उस पर वैध नियंत्रण हो, उसमें नियमित रूप से डेटा डाला जाता हो, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा हो, आदि।
- **मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार**— भारत के मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण की जाँच करने से न्यायालयों को रोकने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है।
- **विशेषज्ञ**— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में परिभाषा में 'विदेशी विधि (कानून), विज्ञान या कला' और 'या कोई अन्य क्षेत्र' जोड़कर विशेषज्ञों की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो 'विदेशी विधि, विज्ञान या कला' को जोड़कर अपनी राय दे सकते हैं।

तथ्य, मुद्दे में तथ्य और प्रासंगिक तथ्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, 'तथ्य' का अर्थ है और इसमें शामिल हैं—

- कोई भी वस्तु, वस्तुओं की स्थिति या वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने योग्य हो—
- कोई भी मानसिक स्थिति, जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत हो।

'विवाद्यक तथ्य' का अर्थ है और इसमें कोई भी तथ्य शामिल है, जिससे, या तो अपने आप में या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी भी अधिकार, दायित्व या निःशक्तता का अस्तित्व, अस्तित्व में नहीं होने, प्रकृति या सीमा, किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में दावा या अस्वीकार, अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है।

क्या आप जानते हैं कि एस्टोपल के सिद्धांत द्वारा किसी व्यक्ति को उसके द्वारा पहले बताई गई बातों या सहमति का खंडन करने से रोका जाता है, यदि किसी और ने उस कथन पर विश्वास किया हो? उदाहरण के लिए— यदि कोई मकान मालिक किसी व्यक्ति को किरायेदार के रूप में स्वीकार करता है और फिर अदालत में उसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है, तो मकान मालिक को ऐसा करने से रोक दिया जाता है।

किसी तथ्य को दूसरे तथ्य से तब संगत माना जाता है, जब वे संगत तथ्यों के बारे में अधिनियम में नियमों के अनुसार इस तरह से जुड़े होते हैं। संगत होने का अर्थ है कि इनमें कोई संबंध है और इस संबंध से न्यायाधीश को यह तय करने में मदद मिलती है कि चर्चा किए जा रहे मामले में तथ्य सत्य है या नहीं।

उदाहरण— एक कानूनी मामले की कल्पना करें, जिसमें किसी व्यक्ति पर किसी दुकान से कोई मूल्यवान वस्तु चुराने का आरोप लगाया जाता है। इस मामले में—

- विचाराधीन 'तथ्य' आरोपी व्यक्ति के कब्जे में चोरी की गई वस्तु प्राप्त होगी।
- 'विवाद्यक तथ्य' यह होगा कि क्या आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में वस्तु चुराई थी।
- इस तथ्य का 'संगत होना' कि वस्तु आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाई गई थी, यह इस बात से निर्धारित होता है कि यह समग्र मामले से कैसे जुड़ती है। यदि इस बात का साक्ष्य है कि आरोपी व्यक्ति को बिना अनुमति के वस्तु ले जाते देखा गया था या यदि वस्तु उसके सामान में छिपी हुई पाई गई थी, तो यह तथ्य चोरी के मामले में उसके अपराध या निर्दोष सिद्ध करने के लिए संगत हो जाता है।

सिद्ध, असिद्ध और सिद्ध नहीं किए गए तथ्य

किसी तथ्य को 'सिद्ध' तब कहा जाता है, जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद न्यायालय या तो यह मानता है कि यह मौजूद है, या इसके अस्तित्व की संभावना मानता है कि किसी विवेकवान व्यक्ति को विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है।

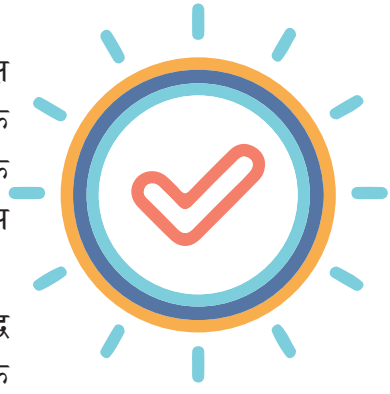

किसी तथ्य को 'असिद्ध' तब कहा जाता है, जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह मानता है कि यह मौजूद नहीं है, या इसके अस्तित्व में न होने की संभावना है कि किसी विवेकवान व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है।

किसी तथ्य को 'सिद्ध नहीं' तब कहा जाता है, जब उसे न तो सिद्ध किया जाता है और न ही असिद्ध किया जाता है। इसका अर्थ है कि न तो तथ्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है और न ही तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य विवेकवान व्यक्ति न तो यह मानता है कि तथ्य मौजूद है और न ही वह यह मानता है कि तथ्य मौजूद नहीं है।

साक्ष्य का बोझ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता है कि न्यायालय किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में उसके पक्ष में निर्णय दे, तो उसे उन तथ्यों को सिद्ध करना होगा, जिनका दावा वह कर रहा है। इन तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध करने के इस दायित्व को साक्ष्य का बोझ कहा जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में आगे स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य का बोझ उस व्यक्ति पर होता है, जो कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर केस हार जाएगा। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य का भार उस पक्ष पर होता है जो मुकदमा या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करता है।

उदाहरण— यदि कोई व्यक्ति यह दावा करते हुए मुकदमा दायर करता है कि उसके पड़ोसी ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है तो साक्ष्य का बोझ उस व्यक्ति पर होता है, जिसने मुकदमा दायर किया है। उसे अपने दावे का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पेश करने होंगे। यदि वह पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो न्यायालय उसके पक्ष में फैसला नहीं देगा।

उद्देश्य, तैयारी और आचरण

उद्देश्य— उद्देश्य वह प्रेरक शक्ति है जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से उन्हें कुछ करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है या वे राजी होते हैं। उद्देश्य का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग सामान्यत: किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। यह साक्ष्य विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब कोई मामला अप्रत्यक्ष सुरागों या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उदाहरण के लिए— एक चोरी के मामले में जहाँ किसी घर से मूल्यवान वस्तुएँ चुराई गई थीं, आरोपी का उद्देश्य जानने से यह सिद्ध करने में मदद मिल सकती है कि अपराध क्यों हुआ? जैसे कि वित्तीय संकट या बदला।

क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र आम तौर पर उसके आचरण को साबित करने के लिए स्वीकार्य नहीं होता है? हालाँकि, इसके कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए— मानहानि के मामलों में बदनाम व्यक्ति का चरित्र संगत हो सकता है और आपराधिक मामलों में अभियुक्त अपने बचाव के हिस्से के रूप में अच्छे चरित्र का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

तैयारी— जब कोई व्यक्ति अपराध करने की योजना बनाता है तो वह अक्सर इसके लिए तैयारी करने के लिए कुछ कदम उठाता है या कार्रवाई करता है। इस तैयारी में अपराध करने के लिए आवश्यक उपकरण या पदार्थ प्राप्त करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए— यदि एक व्यक्ति 'क' किसी अन्य व्यक्ति, जिसका नाम 'ख' है, को किसी जहरीले पदार्थ से जहर देने का इरादा रखता है तो उसे पहले से ही वह जहर प्राप्त करना होगा।

अब विधिक (कानूनी) शब्दों में, तैयारी का साक्ष्य वास्तविक अपराध करने से पहले व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई या कदम को संदर्भित करता है। किसी आपराधिक जाँच में यह महत्वपूर्ण हो जाता है,

क्योंकि इससे नियोजन के चरण और अपराध के निष्पादन के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। हमारे उदाहरण में यदि 'एक' के पास ज़हर या इसे प्राप्त करने के साक्ष्य पाए जाते हैं तो यह उसके विरुद्ध अपराध की योजना बनाने और उसे पूरा करने के मामले को पुष्ट बनाता है।

आचरण— भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, कानूनी कार्यवाही में विशिष्ट व्यक्तियों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए— वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोपी पक्ष के अधिकृत एजेंट, जैसे कि उनके वित्तीय सलाहकार का आचरण संगत हो जाता है। सलाहकार के आचरण, जिसमें उनकी सलाह, लेन-देन और आरोपी के साथ संप्रेषण शामिल है, कथित धोखाधड़ी और एजेंट की संलिप्तता की सीमा के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसी तरह, पीड़ित का आचरण, जैसे धोखाधड़ी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, आरोपी के साथ बातचीत और मुद्दे पर ध्यान देने के प्रयास से अपराध के प्रभाव और परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है।

साक्ष्य की स्वीकार्यता

साक्ष्य की स्वीकार्यता से तात्पर्य है कि क्या किसी चीज़ को कानून की न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। साक्ष्य में दस्तावेज, गवाही या भौतिक वस्तुएँ शामिल हैं, जो किसी मुकदमे में तथ्यों को सिद्ध या गलत सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। न्यायालय में सभी साक्ष्यों की अनुमति नहीं है; केवल विश्वसनीय और संगत साक्ष्य को ही स्वीकार्य माना जाता है। इसका अर्थ है कि साक्ष्य भरोसेमंद होने चाहिए और सीधे तौर पर मुकदमे से संबंधित होने चाहिए। न्यायालय साक्ष्य की स्वीकार्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी निर्णय लेने के लिए केवल उचित और विश्वसनीय जानकारी का उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए— चोरी के मामले में, यदि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर आरोपी को दिखाते हुए सुरक्षा कैमरे का फुटेज प्रस्तुत करना चाहता है तो न्यायालय यह आकलन करेगा कि क्या फुटेज में कुछ मानदण्डों को पूरा किया जाता है। इसमें फुटेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यह मामले के लिए संगत है अर्थात् आरोपी को चोरी करते हुए दिखाता है और यह पुष्टि करना कि इसे विधि सम्मत रूप से प्राप्त किया गया था। यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि फुटेज में इन मानदण्डों को पूरा किया जाता है और विश्वसनीय है तो इसे स्वीकार्य माना जाएगा और विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले दिया गया वक्तव्य या बयान अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया वक्तव्य या बयान, जो मानता है कि वह मरने वाला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुष्ट प्रमाण माना जाता है? औचित्य यह है कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता।

क्या आप जानते हैं कि अपराध के समान किए गए कार्य के हिस्से के रूप में दिए गए बयान, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं? 'रेस गेस्टे' नाम के इस सिद्धांत में उन बयानों को विश्वसनीय माना जाता है, जो घटना के साथ सहज और समकालीन हैं। उदाहरण के लिए— हमले के दौरान मदद के लिए पुकार को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्वीकृति और स्वीकारोक्ति

स्वीकृति को गवाहों द्वारा बोले गए कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी मामले में किसी मुद्दे या संगत तथ्य के बारे में अनुमान दर्शाया जाता है। स्वीकृति एक दस्तावेज, मौखिक कथन के रूप में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है। कार्यवाही में पक्षकार द्वारा या किसी ऐसे पक्षकार के एजेंट द्वारा दिए गए कथन, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत, उन्हें बनाने के लिए स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत मानता है, स्वीकृति कहलाते हैं।

क्या आप जानते हैं कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को अदालत में गवाह बनने के लिए सक्षम माना जाता है? हालाँकि, बच्चों या अस्वस्थ दिमाग वाले लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है कि वे कार्रवाई को समझते हैं और विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

आमतौर पर, आपराधिक मामले में अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करना स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। कथन से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वह अपराध का दोषी है। उदाहरण के लिए— चोरी के एक मामले पर विचार करें, झूमा पर एक मूल्यवान वस्तु चोरी करने का आरोप है। मुकदमे के दौरान, चोरी के समय वहाँ मौजूद एक व्यक्ति यह कहते हुए बयान देता है, "हाँ, मैंने इस लड़की (झूमा का जिक्र करते हुए) को स्टोर से सामान लेते हुए देखा था।" यह कथन एक स्वीकृति है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस तथ्य से संबंधित है, जो यह है कि क्या झूमा ने चोरी की थी।

अब यदि झूमा खुद कहती है, "हाँ, मैंने सामान लिया था" तो यह एक स्वीकारोक्ति होगी। यह अपराध की स्वीकृति है और मामले में उसके विरुद्ध पुष्ट साक्ष्य माना जाता है।

गवाह

गवाह या साक्षी वह व्यक्ति है, जिसने किसी घटना को व्यक्तिगत रूप से देखा या अनुभव किया हो, जैसे कि कोई अपराध, दुर्घटना या कोई महत्वपूर्ण घटना।

गवाहों के प्रकार

- **अभियोजन पक्ष का गवाह**— अभियोजन पक्ष इस गवाह को अपने मामले का समर्थन करने के लिए लाता है। उदाहरण के लिए— एक व्यक्ति, जिसने अपराध देखा और जो हुआ, उसका वर्णन कर सकता है।
- **बचाव पक्ष का गवाह**— इस गवाह को बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त को निरपराध सिद्ध करने में मदद करने के लिए लाया जाता है।

- **प्रत्यक्षदर्शी गवाह**— कोई ऐसा व्यक्ति, जो घटनास्थल पर मौजूद था और जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा।
- **विशेषज्ञ गवाह**— मामले से संबंधित किसी विशेष विषय के बारे में व्यावसायिक, शैक्षिक या तकनीकी ज्ञान वाला विशेषज्ञ, उदाहरण के लिए— एक फोरेंसिक वैज्ञानिक, जो डी.एन.ए. साक्ष्य की व्याख्या कर सकता है।
- **मुकरने वाला गवाह**— एक गवाह, जिसके बयानों से पता चलता है कि वह सत्य नहीं बोल रहा है या सच्चाई को प्रकट करने में इच्छुक नहीं हैं। उदाहरण के लिए— एक गवाह जो शपथ लेकर भी अपनी कहानी बदलता रहता है।
- **बाल गवाह**— एक बच्चा,जो न्यायालय द्वारा पूछे गए सवालों को समझता है और तर्कसंगत जवाब दे सकता है।
- **संयोगवश आए गवाह**— एक व्यक्ति, जो संयोग से अपराध स्थल पर था। उदाहरण के लिए— कोई ऐसा व्यक्ति, जो वहाँ से गुज़र रहा था और जिसने घटना को घटते हुए देखा।
- **साथी गवाह**— अपराध में शामिल एक व्यक्ति जो इसके बारे में गवाही देता है। उदाहरण के लिए— एक चोर, जो पुलिस के साथ सहयोग करता है और अपराध में अपने सहयोगियों के खिलाफ गवाही देता है।

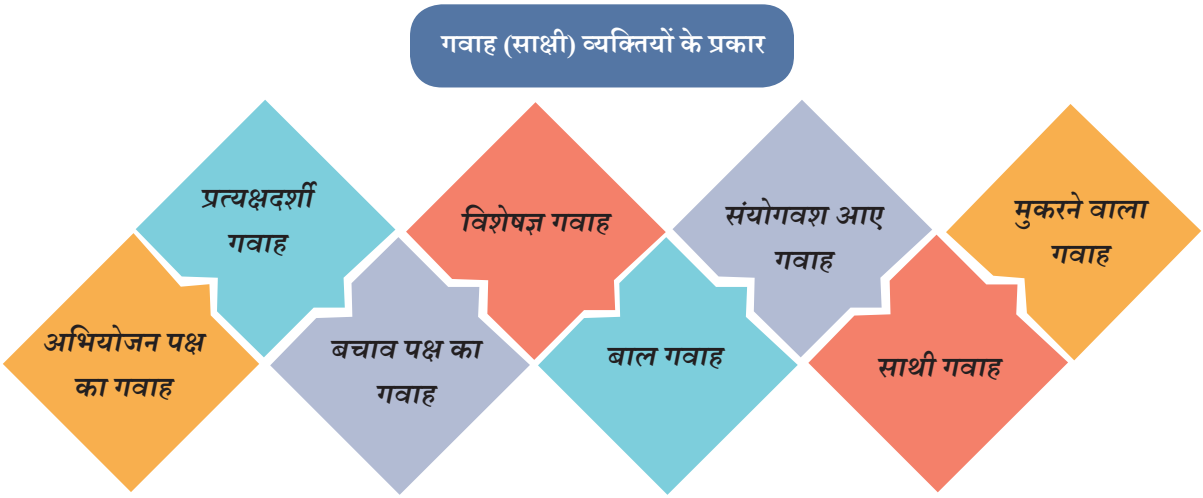

चित्र 2— गवाह व्यक्तियों के प्रकार

विशेषज्ञ के साक्ष्य

विशेषज्ञ गवाह वह व्यक्ति है, जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान या कौशल होता है, जो मामले से सीधे संबंधित नहीं होता है, लेकिन वह न्यायालय को जटिल मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है। ये विशेषज्ञ न्यायालय को व्यापक दृष्टिकोण देने और न्याय देने में सहायता करने के लिए अपनी व्यावसायिक राय देते हैं।

क्या आप जानते हैं कि न्यायालय में विशेषज्ञों की राय स्वीकार्य है? उदाहरण के लिए— हस्तलेखन, अँगुलियों के निशान या यहाँ तक कि चिकित्सा मामलों पर डॉक्टर की राय किसी मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न्यायालय को विशेष ज्ञान के आधार पर संसूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

जब न्यायालय को विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अँगुलियों के निशान जैसे किसी विशिष्ट विषय पर राय बनाने की आवश्यकता होती है, तो वह उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है। इन विशेष रूप से दक्ष व्यक्तियों की राय को संगत तथ्य माना जाता है। इन विशेषज्ञों को तकनीकी या विशेष जानकारी समझाने के लिए बुलाया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होती है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख

'दस्तावेज' की परिभाषा— भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, 'दस्तावेज' की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। इसका अर्थ है कि ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस पर संगृहीत वॉइसमेल संदेश सभी को दस्तावेज माना जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 'दस्तावेज' या 'दस्तावेजी साक्ष्य' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, जानकारी को अक्षरों, आँकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। किसी भी पदार्थ पर किसी भी माध्यम से दर्ज की गई किसी भी जानकारी को दस्तावेज के रूप में अर्हता प्राप्त होगी।

'साक्ष्य' की परिभाषा— भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भी शामिल है। गवाहों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए बयानों को मौखिक बयानों की तरह ही साक्ष्य माना जाता है।

क्या आप जानते हैं कि कुछ तथ्य न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य के बिना ही मान लिए जाते हैं? उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात साल तक उन लोगों को पता नहीं चला,जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुन सकते थे, तो कानून यह मान लेता है कि वह मर चुका है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।

प्राथमिक साक्ष्य— प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे उदाहरण प्रदान करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है—

1. **कई फाइलें**— यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कई फाइलों में बनाया या संगृहीत किया जाता है, तो प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य होती है।
2. **उचित अभिरक्षा**— यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उचित अभिरक्षा से तैयार किया जाता है और इसके साथ कोई विवाद नहीं है, तो यह प्राथमिक साक्ष्य होता है।
3. **एक साथ संग्रहण**— यदि वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगृहीत किया जाता है और साथ ही अन्यत्र प्रेषित या स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक संगृहीत रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होती है।
4. **एकाधिक संग्रहण स्थान**— यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कंप्यूटर में कई स्थानों पर संगृहीत किया जाता है, तो अस्थायी फाइलों सहित प्रत्येक संग्रहण स्थान प्राथमिक साक्ष्य होता है।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता— भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए हर बार इसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए एक निर्दिष्ट प्रारूप प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद मिलती है।

मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह)

जिस पक्ष पर साक्ष्य का भार होता है, वह गवाहों की परीक्षा शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रक्रिया न्यायालय में साक्ष्य पेश करने और उसे चुनौती देने में महत्वपूर्ण होती है। इसमें शामिल चरण इस प्रकार हैं—

1. **मुख्य परीक्षा**— यह गवाह की उस पक्ष द्वारा प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसने उन्हें बुलाया था। इसका उद्देश्य उन तथ्यों को प्राप्त करना होता है, जो साक्ष्य का बोझ वहन करने वाले पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं।
2. **प्रतिपरीक्षा**— प्रमुख परीक्षा के बाद, विरोधी पक्ष को गवाह से सवाल करने का अवसर मिलता है। यहाँ उद्देश्य प्रमुख परीक्षा के दौरान दी गई गवाही की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को चुनौती देना है।

क्या आप जानते हैं कि सामान्यत: प्रत्यक्ष परीक्षण के दौरान उत्तरों के सुझाव वाले प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन बहस (जिरह) के दौरान अनुमति दी जाती है? इस अंतर से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि गवाह केवल जाँच करने वाले वकील के सुझावों से सहमत होने के बजाए अपनी गवाही दें।

3. **पुनः परीक्षा**— जिस पक्ष ने शुरू में गवाह को बुलाया था, वह जिरह के बाद उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य जिरह के दौरान दिए गए किसी भी उत्तर को समझाना या स्पष्ट करना है, जिसने गवाह की प्रारंभिक गवाही को कमजोर किया हो।

साक्ष्य के प्रकार

सामान्यत: साक्ष्य के प्रकार निम्नानुसार हैं—

1. **प्रत्यक्ष साक्ष्य**— प्रत्यक्ष साक्ष्य का अर्थ है— वह तथ्य, जो किसी अन्य तथ्य के हस्तक्षेप के बिना मुद्दे में किसी तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करता है।
2. **मौखिक साक्ष्य**— मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य है, जो मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोले गए शब्दों के रूप में होता है। इसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन के बिना सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी विश्वसनीयता हो।
3. **दस्तावेजी साक्ष्य**— दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य है, जो किसी भी सामग्री पर अक्षरों, आँकड़ों या चिह्नों के माध्यम से या मुद्दे को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले एक से अधिक तरीकों से वर्णित या व्यक्त किए गए किसी भी मुद्दे का उल्लेख करता है। इस तरह के साक्ष्य को न्यायालय में विवादित तथ्य को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
4. **परिस्थितिजन्य साक्ष्य**— परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी गवाह के अन्य संगत तथ्यों के बारे में गवाही है, जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है।
5. **सुनी-सुनाई बातों का साक्ष्य**— सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य को व्युत्पन्न या किसी अन्य से प्राप्त साक्ष्य भी कहा जाता है। यह न्यायालय के बाहर दिए गए बयानों के बारे में गवाह की गवाही है, जिसे उनकी अपनी सच्चाई के साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है।
6. **निर्णायक साक्ष्य**— एक प्रकार के साक्ष्य को संदर्भित करता है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम और निर्णायक माना जाता है।

प्रश्नोत्तरी

1. साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ किसे माना जाता है?

(क) पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील
(ख) मामले की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति
(ग) विदेशी कानून, विज्ञान, कला या अन्य क्षेत्रों में दक्ष व्यक्ति
(घ) मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश

(उत्तर– ग)

2. अन्य संगत तथ्यों के लिए गवाह की गवाही किस प्रकार का साक्ष्य है, जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है?

(क) प्रत्यक्ष साक्ष्य
(ख) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(ग) सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य
(घ) मौखिक साक्ष्य

(उत्तर– ख)

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है?

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023
(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(घ) भारतीय नागरिक अधिनियम, 2023

(उत्तर– ख)

4. साक्ष्य कानून में 'द्वितीयक साक्ष्य' शब्द का क्या अर्थ है?

(क) विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
(ख) प्राथमिक साक्ष्य जितना विश्वसनीय नहीं होने वाला साक्ष्य
(ग) प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य
(घ) अवैध तरीकों से प्राप्त साक्ष्य

(उत्तर– ग)

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में प्राथमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार कैसे किया जाता है?

(क) हस्तलिखित दस्तावेजों को शामिल करके
(ख) केवल भौतिक रिकॉर्ड को शामिल करके
(ग) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करके
(घ) सभी प्रकार के माध्यमिक साक्ष्य को छोड़कर

(उत्तर– ग)

गतिविधियाँ

1. 'साक्ष्य कानून पर प्रौद्योगिकीय प्रगति का प्रभाव' विषय पर एक बहस का आयोजन करें। विद्यार्थियों को अलग-अलग दृष्टिकोणों, जैसे– वकील, न्यायाधीश, तकनीकी विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों में विभाजित करें और उन्हें न्यायालय की कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को शामिल करने के पक्ष और विपक्ष पर बहस करने के लिए कहें।
2. साक्ष्य कानून सुधार के विशिष्ट पहलुओं पर शोध परियोजनाएँ सौंपें, जैसे– डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता, विशेषज्ञ गवाहों की भूमिका या फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग आदि विद्यार्थी अपनी रिपोर्ट या प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करने के लिए कानूनी व्यावसायिकों, फोरेंसिक विशेषज्ञों या साक्ष्य कानून में विशेषज्ञता रखने वाले विद्वानों को आमंत्रित करें। वे वास्तविक दुनिया के अनुभव साझा कर सकते हैं, हाल के मामलों के उदाहरणों पर चर्चा कर सकते हैं और विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।

हम और कानून

विचार

इस मॉड्यूल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की नियम पुस्तिका पर गहराई से चर्चा की गई है। इसे समझने के लिए यह आपकी मार्गदर्शक है कि कानूनी कार्रवाई में सच्चाई का निर्धारण करने के लिए जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। चाहे आप एक जिज्ञासु विद्यार्थी हों, भविष्य के कानूनी वकील हों, या कानूनी प्रणाली के कामकाज में रुचि रखने वाले नागरिक हों, यह मॉड्यूल आपको साक्ष्य की जटिल दुनिया को समझने में मार्गदर्शन करेगा।

माता-पिता के लिए संदेश

माता-पिता के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और साक्ष्य कानूनों पर इसके प्रभाव से परिचित होना लाभकारी है। उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सहित साक्ष्य के विस्तारित दायरे पर चर्चा करें और जानें कि यह कानूनी कार्यवाही के लिए हमारे दृष्टिकोण को किस प्रकार आधुनिक बनाता है। हमारी कानूनी प्रणाली के अभिन्न पहलुओं के रूप में साक्ष्य की स्वीकार्यता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सहित निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के महत्व पर बल दें। इस समझ को बढ़ाकर हम अपने बच्चों को साक्ष्य कानून की बारीकियों की सराहना करने और एक न्यायपूर्ण समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करते हैं।

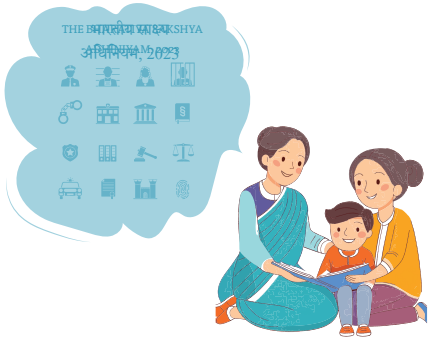

संदर्भ

बतूल, एल. 2014. द *लॉ ऑफ़ एविडेंस*. केंद्रीय विधि एजेंसी. नई दिल्ली.

भारत सरकार. 2023. *भारत का राजपत्र, भारतीय साक्षरता अधिनियम, 2023*. भारत सरकार. नई दिल्ली.

रतनलाल और धीरजलाल. 2022. द लॉ ऑफ़ एविडेंस. लेक्सिसनेक्सिस

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार. 2022. *भारत में अपराध, सांख्यिकी खंड I*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार. महिपालपुर, नई दिल्ली.

श्रीवास्तव, गौरी एवं अन्य. 2024–25. *लीगल लिटरेसी हैंडबुक फॉर करिकुलम डेवलपर्स*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली, प्रकाशनाधीन.

संसदीय स्थायी समिति की 248वीं रिपोर्ट—
SC_Report_Bharatiya_Sakshya_Bill_2023.pdf (prsindia.org)

सारथी, वी.पी. 2013. द *लॉ ऑफ एविडेंस*. ईबीसी एक्सप्लोरर

UN346

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING